भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3263

उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 9 दिसम्बर, 2019

18 अग्रहायण, 1941 (शक)

रामप्पा मंदिर को धरोहर की मान्यता देना

3263. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:
श्री दयाकर पसुनूरी:
डॉ वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेलंगाना सरकार ने रामप्पा मंदिर सहित राज्य में कुछ मंदिरों को धरोहर की मान्यता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है और इसके विकास हेतु कितनी धनराशि जारी और खर्च की गई है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख) जी, हां। तेलंगाना सरकार ने 2019-20 के नामांकन सत्र के लिए राम्मपा मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आईकोमोस विशेषज्ञ ने सितंबर, 2019 में इस स्थल का मूल्यांकन किया है। हाल ही में, मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान चिन्हित मुद्दों पर विचार करने के लिए निदेशक, आईकोमोस मूल्यांकन एकक के आमंत्रण पर तेलंगाना सरकार की ओर से एक छोटे प्रतिनिधि मंडल की टीम ने 22.11.2019 को पेरिस में आईकोमोस विश्व विरासत पैनल की बैठक में भी भाग लिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई निधियां अनुबंध–क में दी गई है।

अनुबंध – 'क'

लोक सभा में दिनांक 9.12.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 3263 के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

राम्मपा मंदिर, मुलुगु जिला, तेलंगाना में विकास कार्यों आदि पर खर्च की गई निधियों का ब्यौरा

क्र.सं.	विवरण	खर्च की गई राशि
1.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा	37,72,101/रू.
2.	तेलंगाना सरकार द्वारा	22,40,000/रू.